



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498
ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट www.vyapam.nic.in

G.N.T.S.T & P.N.S.T - 2013
(General Nursing Training Selection & Pre Nursing Selection Test- 2013)

| स.क्रं. | विवरण | प्रारंभ तिथि | अंतिम तिथि |
|---------|--|---|------------|
| 1. | ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की तिथियाँ | 10.04.2013 | 09.05.2013 |
| 2. | आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की तिथियाँ | 10.05.2013 | 19.05.2013 |
| 3. | परीक्षा दिनांक व दिन | 02.06.2013 (रविवार) | |
| 4. | परीक्षा शुल्क | अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :- | रु.. 400/- |
| | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ नि: त्तजन के लिए :- | रु.. 200/- |
| 5. | ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- देय होगा। | | |

परीक्षा की समय सारणी

| परीक्षा, दिनांक एवं दिन | परीक्षा प्रारम्भ समय | उत्तरशीट्स वितरण समय | उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय | प्रश्न-पत्र वितरण समय | प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय | उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय |
|-------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------|--|---|
| 02.06.2013, रविवार | प्रातः 10:00 बजे से | प्रातः 10:00 बजे से | प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट) | प्रातः 10:10 बजे | प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट) | प्रातः 10:15 से 01:15 बजे तक (3:00 घंटे) |

नोट :-

- परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा केन्द्र में पहुंचने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थी को परीक्षा उपरांत परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व अपनी उत्तरशीट वीक्षक को सौंपना अनिवार्य है।
- सेल्यूलर/मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल, रफ पेपर आदि परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- प्रवेश परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र व कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची लेकर जाना अनिवार्य है (मूल अंकसूची की सुरक्षा का समस्त दायित्व अभ्यर्थी का होगा)।

विषय-सूची

कंडिका पृष्ठ क्रं.

अध्याय – 1(अ)

पी.एन.एस.टी.-2013 प्रवेश परीक्षा के नियम

| | | |
|---|------------|-------|
| — सामान्य | 1.1 | 4 |
| — सीटों का आरक्षण | 1.2 | 4 |
| — प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें | 1.3 | 5 |
| — शैक्षणिक अर्हता | 1.3.2 | 5 |
| — चयन प्रक्रिया | 1.4 | 6 |
| — प्रवेश हेतु एवं काउंसिलिंग | 1.5 | 6-7 |
| — प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य सेवा | 1.6 | 7 |
| — प्रवेश रद्द करना | 1.7 | 8 |
| — प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान | परिशिष्ट-अ | 9 |
| — बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें | परिशिष्ट-ब | 10-11 |

अध्याय – 1(ब)

जी.एन.टी.एस.टी.-2013 प्रवेश परीक्षा के नियम

| | | |
|---|------------|-------|
| — सामान्य | 1.1 | 13 |
| — सीटों का आरक्षण | 1.2 | 13-14 |
| — प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें | 1.3 | 14 |
| — शैक्षणिक अर्हता | 1.3.2 | 14 |
| — चयन प्रक्रिया | 1.4 | 15 |
| — प्रवेश हेतु एवं काउंसिलिंग | 1.5 | 15-16 |
| — प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा | 1.6.1 | 17 |
| — प्रवेश रद्द करना | 1.7 | 17 |
| — प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान | परिशिष्ट-अ | 18 |
| — बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें | परिशिष्ट-ब | 19 |

अध्याय – 2

निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

| | | |
|--|------|-------|
| — ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया | 2.1 | 20 |
| — फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देश | 2.4 | 20-21 |
| — ऑनलाईन आवेदन-पत्र की स्क्रूटनी | 2.7 | 23 |
| — परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card) | 2.8 | 23 |
| — परीक्षा परिणाम का प्रकाशन | 2.19 | 26 |
| — क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) | 2.22 | 27 |

अध्याय – 3

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप 01 से 11 पृष्ठ क्रं. 28 से 37 तक

अध्याय – 4

पाठ्यक्रम पृष्ठ क्रं. 38 से 42 तक

अध्याय – 5

ओएमआर उत्तरशीट भरने संबंधी निर्देश पृष्ठ क्रं. 43 से 46 तक

अध्याय – 1(अ)
पी.एन.एस.टी.–2013 प्रवेश परीक्षा के नियम

PNST - 2013

PRE NURSING SELECTION TEST - 2013
(B.Sc. NURSING SELECTION TEST)

FOR GIRLS ONLY

केवल लड़कियों के लिये बी.एससी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु

उम्मीदवारों का चयन संबंधी नियम

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

SELECTION OF CANDIDATES FOR ADMISSION TO B.Sc. NURSING
(4 YEARS COURSE) TO GOVERNMENT NURSING COLLEGES

2013

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय—1(अ)

बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु
चयन के लिए नियम – 2013

1.1 सामान्य :

- 1.1. ये नियम राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के “शासकीय बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम” कहलायेंगे।
- 1.1.1 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं।
- 1.1.2 परिभाषाएं :
इन नियमों में –
1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
 2. टेस्ट से तात्पर्य है Pre. Nursing (B.Sc. Nursing) Selection Test (PNST) प्री नर्सिंग चयन परीक्षा।
 3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय।
 4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।

1.2 सीटों का आरक्षण :

बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट –“अ”– में दिया गया है।

टिप्पणी :-

- (अ) विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस आरक्षित वर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (जी.एन.टी. में उपयोग किये गये प्रारूप की छायाप्रति संलग्न है)

नोट :- प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ-जहाँ प्रमाण-पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय-4) देखें।

- 1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) वर्ग – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :-

- (अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र।
- (ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता-पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ-पत्र।
- (स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (द) यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसने प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।
- 1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :-

प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी:-

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

टिप्पणी :-

मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण:-1.

विकलांग उम्मीदवारों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश के नियमानुसार लागू होगा।

- 1.3.2 शैक्षणिक अर्हता :- बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों को लेकर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

- 1.3.2.1 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता:- प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष 1.3.2 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रही हैं। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी।

- 1.3.3 आयु सीमा :- 1 जुलाई 2013 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

1.3.4 स्पष्टीकरण :- आयु सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रक्रिया:-

1.4.1 बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा बी.एस.सी. नर्सिंग चयन परीक्षा (प्री. नर्सिंग सलेक्शन टेस्ट.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां वर्गवार उपलब्ध करायी जावेगी।

नोट:- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउन्सिलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें।

1.4.2 इन चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होंगे। सभी विषयों का मूल्यांकन अलग-अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी भाग के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी।

1.4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :- समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर-निश्चित किया जावेगा। प्रथम-जीवविज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेगी।

1.5 प्रवेश प्रक्रिया :-

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन कटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जावेगा।

नोट - वर्ष 2013 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसिलिंग नहीं की जावेगी। आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों में निर्धारित तिथि में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। व्यापम द्वारा जारी अंकसूची एवं एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक 3 जुलाई 2013 को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। निर्धारित तिथि 3 जुलाई 2013 को आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

जो उम्मीदवार नियत तिथि 3 जुलाई 2013 को उपस्थित नहीं होंगे। उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

दिनांक 3 जुलाई 2013 में बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी दिनांक 5 जुलाई 2013 को स्वास्थ्य विभाग के वेब साईट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आनलाईन पर प्रकाशित की जावेगी।

दिनांक 3 जुलाई 2013 के पश्चात् रिक्त सीटों के आधार पर प्रतिका सूची के उम्मीदवारों को एम.पी.आनलाईन के माध्यम से सीट आवंटित होने के उपरांत आवंटित नर्सिंग महाविद्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2013 को अपनी उपस्थिति देकर अभिलेखों का परीक्षण कराना होगा। रिक्त सीट उपलब्ध होने की स्थिति में उपयुक्त उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा। इसके पश्चात कोई काउन्सिलिंग नहीं होगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग :- मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम कर वर्गवार (ओपन कैटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर द्वारा प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित की जायेगी एवं मेरिट क्रमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

काउंसिलिंग हेतु तिथि एवं प्रक्रिया की विज्ञप्ति पृथक से जारी की जावेगी।

- 1.5.2 प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची :- उम्मीदवारों को बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों को साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप)) प्रत्येक की एक-एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
 2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
 3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।
 4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण-पत्र। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।

टिप्पणी:-

- (i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।
- (ii) काउंसिलिंग में आने के पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षणार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।
- (iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।

1.6 प्रशिक्षण के उपरांत 7 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा :-

सभी चयनित 120 उम्मीदवारों को नर्सिंग कॉलेज में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ-नर्स के पद पर म. प्र. में कहीं भी 7 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा।

अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग :- प्रशिक्षण के उपरान्त 7 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा :- सभी चयनित 50 उम्मीदवारों को नर्सिंग कॉलेज में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टॉफ-नर्स के पद पर म.प्र. में कहीं भी 7 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर, सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों/प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :-

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट-‘ब’ में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग) :-

बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के फलस्वरूप रूपये 5200-20200+2400 (शासन द्वारा समय-समय पर परिवर्तित वेतनमान) में स्टाफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट -‘द’ (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 120+50 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:-

नोट :- आवंटन के पश्चात् कॉलेज परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट –अ

| क्रं. | कॉलेज का नाम | कुल स्थान | अनारक्षित | अनुसूचित जाति (16%) | अनुसूचित जन जाति (20%) | अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (14%) |
|-------|---|-----------|-----------|---------------------|------------------------|--|
| 1. | शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय लेडी एल्गिन अस्पताल के पास जबलपुर | 60 | 30 | 10 | 12 | 8 |
| 2. | शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन जिला चिकित्सालय उज्जैन के पास | 60 | 30 | 10 | 12 | 8 |
| 3 | शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर। | 50 | 25 ** | 8 | 10 | 7 |
| योग | | 170 | 85 | 28 | 34 | 23 |

नोट :- पी.एन.एस.टी. का syllabus संलग्न है।

** नोट:-

- 1- चि.शि. विभाग के अधीनस्त शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय में अनारक्षित श्रेणी की 25 सीटों में से 1 सीट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक की होगी।
- 2-शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय में 50 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग की विज्ञप्ती अलग से जारी की जायेगी।

परिशिष्ट – 'ब'
बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि 4 वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा। आई.एन.सी. के मापदण्ड अनुरूप पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के नियम का पालन करना होगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि. -3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जोन की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
11. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोलकाल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
12. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
13. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
15. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करना भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
16. छात्राओं द्वारा रू. 2 लाख का अनुबंध (बाण्ड) भरना अनिवार्य है। (शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुसार अनुबंध (बाण्ड) भरना होगा।)

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में :-

बिन्दु 1 से 16 तक समान रूप से लागू।

17. छात्राओं को कक्षा में शैक्षणिक सत्र के दौरान 80 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जावेगा।
भारतीय उपचर्या परिषद के मापदण्डानुसार।
18. अवर सचिव म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र एफ-2-63/03/55/चि.शि./1 भोपाल दिनांक 6/4/2004 के अनुसार कांउसिलिंग में उपस्थित होने के समय अनिवार्य रूप से रुपये 32500/- (रुपये बत्तीस हजार पांच सौ मात्र) का सी.ई.ओ., ऑटोनोमस सोसायटी, नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर के नाम से देय किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ लेकर आवें (शिक्षण शुल्क रु. 25000/- प्रतिवर्ष, रुपये 1000/- कम्प्यूटर फीस एक बार एवं रुपये 6000/- होस्टल फीस प्रतिवर्ष एवं रुपये 500/- कॉशन मनी एक बार (रिफण्डेबल))।
19. शासन नियमानुसार नवीन प्रवेश प्राप्त (एस.टी./एस.सी. एवं ओ.बी.सी.) छात्राओं को आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला इंदौर द्वारा छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क एवं प्रशिक्षण शुल्क आय प्रमाण-पत्र के आधार पर वापस कर दी जाती है एवं अन्य छात्राओं (सामान्य वर्ग की छात्राओं) को शासन नियमानुसार प्रतिमाह रुपये 1500/- स्टायफण्ड प्रदाय किया जाएगा।

अध्याय—1(ब)

GNTST - 2013

(GENERAL NURSING TRAINING SELECTION TEST)
जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये)

(स्टाँफ नर्स के पद पर नियुक्ति के लिये)

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

RULES FOR ADMISSION TO GENERAL NURSING TRAINING
IN SELECTED GOVERNMENT TRAINING CENTRES
(FOR APPOINTMENT AGAINST THE POST OF STAFF NURSES)

2013

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय—1(ब)

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु
चयन के लिए नियम 2013

1.1 सामान्य :

- 1.1.1 ये नियम राज्य के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के “शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के नियम” कहलायेंगे।
- 1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।
- 1.1.3 परिभाषाएं :
इन नियमों में —
 1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
 2. टेस्ट से तात्पर्य है General Nursing Training Selection Test (GNTST) जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा।
 3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय।
 4. वर्ग से तात्पर्य है 3 वर्गों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।

1.2 सीटों का आरक्षण :

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) वर्गों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट —“अ”— में दिया गया है।

टिप्पणी :-

- (अ) विभिन्न आरक्षित वर्गों में से उम्मीदवार केवल एक ही वर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण—पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :- प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ—जहाँ प्रमाण—पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अंत में (अध्याय—4) देखें।

- 1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति(एस.टी.) वर्ग — ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति वर्ग में होने का दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे :-
 - (अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण—पत्र।

- (ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता कानाम, यदि माता-पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ-पत्र।
- (स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ-पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।
- (द) यदि ऐसा शपथ-पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर वर्ग में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :-

- 1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :-
प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगी:-
1. जो भारत का नागरिक हो।
 2. मध्यप्रदेश के शासन के नियमानुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण:-1. विकलांग उम्मीदवारों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश के नियमानुसार लागू होगा।

- 1.3.2 शैक्षणिक अर्हता :- जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम 40% अंको को लेकर उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10+2 की कक्षा 12वीं की भौतिकी, रसायन एवं जीवविज्ञान विषयों में न्यूनतम 40% अंको से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

- 1.3.2.1 अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की पात्रता:- प्रवेश परीक्षा में वे छात्राएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं जो इस वर्ष 1.3.2 में वर्णित परीक्षाओं में सम्मिलित हो रही हैं। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

- 1.3.3 आयु सीमा :- 1 जुलाई 2013 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

1.3.4 स्पष्टीकरण :- आयु-सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण-पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रक्रिया:-

1.4.1 जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में नर्सिंग के प्रशिक्षण के चयन हेतु व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण चयन परीक्षा (जी.एन.टी.एस.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्यता सूचियां श्रेणीवार संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जावेंगी एवं प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा तथा M.P. Online द्वारा अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण केंद्रवार सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जावेगी।

नोट:- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई उम्मीदवार, जिसका नाम आरक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के साथ ही साथ अनारक्षित वर्ग की मेरिट/प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को काउन्सिलिंग के दौरान यह विकल्प होगा की वह सीट आरक्षित वर्ग का चयन करें अथवा अनारक्षित वर्ग का चयन करें।

1.4.2 इन चयन परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न-पत्र होगा, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के भाग होंगे। सभी विषयों का मूल्यांकन अलग-अलग होगा एवं सभी के अंक मिलाकर एक प्राप्तांक होगा। मेरिट सूची अंग्रेजी भाग के अंको को जोड़कर तैयार की जावेगी।

1.4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :- समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर-निश्चित किया जावेगा। प्रथम-जीवविज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा निर्धारित सीटों के मान से वर्ग अनुसार योग्यातक्रम सूचियां बनायी जावेंगी।

1.5 प्रवेश प्रक्रिया :-

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीदवारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन कैटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. आनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी. आनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश दिया जावेगा।

नोट - वर्ष 2013 जुलाई सत्र में प्रवेश हेतु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउंसिलिंग नहीं की जावेगी। आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों में निर्धारित तिथि में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। व्यापम द्वारा जारी अंकसूची एवं एम.पी.आनलाईन के माध्यम से आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में दिनांक 12 जुलाई

2013 को उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। उपस्थिति के समय छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य रहेगा। समस्त अभिलेखों के परीक्षण उपरांत उपयुक्त उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जावेगा। निर्धारित तिथि 12 जुलाई 2013 को आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति अनिवार्य है।

जो उम्मीदवार नियत तिथि 12 जुलाई 2013 को उपस्थित नहीं होंगे। उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।

दिनांक 12 जुलाई 2013 में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों की जानकारी दिनांक 15 जुलाई 2013 को स्वास्थ्य विभाग के वेब साईट www.health.mp.gov.in एवं एम.पी.आनलाईन पर प्रकाशित की जावेगी।

दिनांक 12 जुलाई 2013 में प्रवेश के उपरांत रिक्त सीटों के आधार पर प्रतिका सूची के उम्मीदवारों को एम.पी.आनलाईन के माध्यम से सीट आवंटित होने के उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों में दिनांक 22 जुलाई 2013 को अपनी उपस्थिति देकर अभिलेखों का परीक्षण कराना होगा। रिक्त सीट उपलब्ध होने की स्थिति में उपयुक्त उम्मीदवारों को मेरिट क्रमानुसार प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा। इसके पश्चात कोई काउन्सिलिंग नहीं होगी।

1.5.2 प्रवेश के लिये प्रमाण-पत्रों की सूची :- उम्मीदवारों को जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केन्द्रों में निम्न मूल प्रमाण-पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में अपात्र माना जावेगा एवं उनको प्रवेश नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी (साइंस बायो ग्रुप)) प्रत्येक की एक-एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।
3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।
4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।
5. जी.एन.टी.एस.टी. अंकसूची/प्रवेश पत्र मूलतः एवं सत्यापित छायाप्रति।

टिप्पणी:-

- (i) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

- (ii) प्रवेश हेतु उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय-एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है।
- (iii) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.6 चयनोत्तरान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य :
चयनोत्तरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष अनिवार्य शासकीय सेवा:-

साढे तीन वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त स्टाफ नर्स के पद पर मध्यप्रदेश में कहीं भी 3 वर्ष की शासकीय सेवा यदि शासन द्वारा दी जाये तो करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय जो छात्रवृत्ति के रूप में देय है उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध-पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 प्रवेश रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण-पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, चिकित्सा सेवायें का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :-

उम्मीदवार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :-

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :-

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट-‘ब’ में दिये गये हैं।

1.11 प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त स्टॉफ नर्स के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :-

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने में के फलस्वरूप इन्हें विभाग की आवश्यकतानुसार स्टॉफ नर्स के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा अन्यथा बॉण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

परिशिष्ट –अ

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट – द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 366 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:-

| क्रं. | प्रशिक्षण केन्द्र का नाम | कुल स्थान | अनारक्षित | अनु.जा. | अनु.ज. जा. | अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) |
|-------|--|-----------|-----------|---------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | हमीदिया अस्पताल, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल | 35 | 18 | 5 | 7 | 5 |
| 2. | एम.वाय. अस्पताल, मेडिकल कालेज, सिविल लाईन इन्दौर | 41 | 20 | 7 | 8 | 6 |
| 3. | जे. ए. अस्पताल, ग्वालियर | 41 | 20 | 7 | 8 | 6 |
| 4. | मेडिकल कालेज अस्पताल, जबलपुर | 47 | 23 | 7 | 10 | 7 |
| 5. | जी. एम. अस्पताल, मेडिकल कालेज, रीवा | 32 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| 6. | जिला चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा | 30 | 15 | 5 | 6 | 4 |
| 7. | जिला चिकित्सालय, खण्डवा | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 8. | जिला चिकित्सालय, सागर | 60 | 30 | 10 | 12 | 8 |
| 9. | जिला चिकित्सालय, रतलाम | 60 | 30 | 10 | 12 | 8 |
| योग | | 366 | 182 | 59 | 73 | 52 |

जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि साढ़े तीन वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/प्रशि. -3/94/1588/1601, दिनांक 7-5-1994 के अनुसार संशोधित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता-पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को साढ़े तीन वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
11. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
12. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
13. छात्राओं को बाहर आने-जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
15. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
16. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
17. छात्राओं द्वारा 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का बॉण्ड भरना अनिवार्य है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसलिंग/प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यह पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी/गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख/प्रवेश प्राधिकरण/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा।

2.1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- (1) वेबसाइट www.vyapam.nic.in अथवा www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (2) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित शुल्क जी.एन.टी. एस.टी. एवं पी.एन.एस.टी. (केवल लड़कियों के लिए) –2013 हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़ी जाति के लिए 400/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निः ाक्तजन के लिए 200/- तथा अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रु. 50/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

2.3 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय मोबाईल नम्बर या ई-मेल आई.डी. (दोनों या कोई एक) की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिस पर ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा एक सिक्क्यूरिटी कोड/पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे आवेदक द्वारा गोपनीय रखा जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की आवश्यकता पड़ने पर संशोधन अवधि के दौरान उक्त सिक्क्यूरिटी कोड/पासवर्ड का उपयोग कर ही संशोधन किया जाना संभव हो सकेगा। किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र के संबंध में कम्प्यूटर द्वारा सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, जिसे यदि निरस्त करना चाहते हैं, तो उपलब्ध कराए गए पासवर्ड का उपयोग कर पूर्व में भरे गये आवेदन को निरस्त करने हेतु विकल्प को "हाँ" करना होगा। तभी नया ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा। यदि आवेदक पासवर्ड का उपयोग कर पूर्व में भरे आवेदन को निरस्त करता है तो आवेदन पत्र में उल्लेखित ई-मेल, आई.डी./मोबाईल नम्बर पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी, साथ ही नवीन आवेदन पत्र की हार्डकापी में पूर्व में निरस्त आवेदन के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।

2.4 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) फोटोग्राफ 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का रंगीन, अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।

- (ii) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
- (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।
- (vii) उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड की फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान तीनों की एक ही इमेज jpg फार्मेट में स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

2.5 ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :

- 2.5.1 ऑनलाईन आवेदन 10.04.2013 से 09.05.2013 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- 2.5.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :- (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की विधि :

- 2.5.2.1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत GNTST/ PNST -2013 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/**Instructions** तथा परीक्षा नियम/**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।
- 2.5.2.2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान तीनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान अंगूठे का निशान, फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।
- 2.5.2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2.5.2.4 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.5.2.5 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.5.3 एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक द्वारा आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाइन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.5.3.2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

नोट:- ऑनलाइन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. Online के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.6 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

2.6.1 ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की

निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

- 2.6.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु. 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनुजाति/अनुजनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।
- 2.6.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- 2.6.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

2.7 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर नियमपुस्तिका में उल्लेखित निर्धारित मापदंड के अनुरूप न होने अथवा फोटो व हस्ताक्षर अनुपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र को निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र अमान्य होने की जानकारी प्रवेश-पत्र में मण्डल की वेबसाईट पर दी जायेगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

2.8 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट- प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 परीक्षा शहर व परीक्षा समय :- यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी

| | | | |
|----------|-----------|----------|-------------|
| 1. इंदौर | 2. जबलपुर | 3. भोपाल | 4. ग्वालियर |
|----------|-----------|----------|-------------|

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10:00 से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

2.10 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

केवल प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन एव कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची लेकर जाना अनिवार्य है (मूल अंकसूची की सुरक्षा का समस्त दायित्व अभ्यर्थी का होगा) ।

2.11 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.12 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (ङ.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.13 परीक्षा पद्धति :- यह परीक्षा एक शिफ्ट में प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 01.15 बजे तक आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्नों का एक-एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसमें संबंधित गोले को ओ.एम. आर. उत्तरशीट पर काले बालपाइंट पेन से काला करना होगा। उत्तरशीट की समस्त प्रविष्टियां भी काले

पाइंट पेन से करनी होगी । प्रश्नपत्र में पाठ्यक्रम अनुसार भौतिकी के 30, रसायन के 30, वनस्पति विज्ञान के 30, प्राणिशास्त्र के 30 तथा सामान्य अंग्रेजी के 30 इस प्रकार कुल 150 प्रश्न होंगे ।

2.14 पाठ्यक्रम :-

पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय-4 में दर्शाया गया है ।

2.15 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.16 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
 2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
 3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
 4. कोई भी विकल्प सही न हो।
 5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
 6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
 7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
- प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.17 प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा उपरांत अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप-10 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.18 आदर्श उत्तर (मॉडल आंसर्स) के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :-

- (1) मॉडल आंसर्स :- परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप-11 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

- (2) फायनल आंसर्स :- प्रारूप 10 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 11 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को "की" समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। "की" समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 1.15 अनुसार "की" समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगे। "की" समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.19 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

अध्याय-1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ आदर्श उत्तर (Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.20 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.21 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी:-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 60 मिनट |
| 2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 50 मिनट |
| 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 40 मिनट |
| 1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए | 30 मिनट |

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.22 मण्डल का क्षेत्राधिकार :-

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.23 अभिलेखों का संधारण :-

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरान्त अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.24 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

प्रपत्र – 1 :

उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र
(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम :

पिता का नाम :

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम :

धर्म :

व्यवसाय :

पता :

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिलाके लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जिला के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट दें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

उम्मीदवार के पिता / माता / वैध अभिभावक का शपथ-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागजिला..... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारीपिता / पति का

नाम..... निवासी ग्राम / नगर वि. खं..... तहसील.....

.....जिला..... संभाग..... जाति

/ जनजाति..... का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान

के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में

विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं

जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित

है. अतः श्री / श्रीमती / कुमारी पिता / पति का नाम.....

..... अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी..... के परिवार की

कुल वार्षिक आय रुपये हैं.

हस्ताक्षर

प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

दिनांक

(सील)

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर / अतिरिक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहत / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप :
नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम)आत्मज श्री निवासी ग्रामजिला /संभाग मध्यप्रदेश के निवासी है जोजातिके है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है.

श्री..... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

(सील)

प्रपत्र – 4 :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि
श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)
श्री/कुमारीके
पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से
..... (स्थान) तहसील जिला
..... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक

(कार्यालय सील)

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारीआत्मजा
पत्नी श्रीने नियमित
छात्रा के रूप में इस संख्या(संस्था का नाम) में सत्र
..... से सत्र तक अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम एवं पद

स्थान

(कार्यालय सील)

दिनांक

वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती जो तहसील
.....जिला..... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त –

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान
दिनांक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

टिप्पणी :- जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती.....का /की/पुत्री है।

(क) जो विभाग मेंपर ...
..... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी
है।

अथवा

(ख) जो विभाग मेंपद पर
पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो (तिथि)
को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो विभाग मेंपद पर
पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए
..... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो विभाग मेंपद पर
पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।
.....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक

प्रपत्र – 8 :
वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती.....का /की/पुत्री है, जो
दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि में मध्यप्रदेश में
स्थित विभाग में पद पर पदस्थ केन्द्रीय
शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद

स्थान

(कार्यालयीन सील)

दिनांक

प्रपत्र – 9 :
मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी
श्री/श्रीमती.....का/की/पुत्री है,
जो योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह
योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद

स्थान

(कार्यालयीन सील)

दिनांक

(देखें नियम 2.17)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

| | |
|-----------------------------|--|
| परीक्षा का नाम | |
| अभ्यर्थी का अनुक्रमांक | |
| अभ्यर्थी का नाम | |
| अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र | |
| अभ्यर्थी का सेट क्रमांक | |

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं :-

| स0क्र0 | प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक | त्रुटि का विवरण | साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण | संलग्नक क्रमांक |
|--------|----------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

स्थान

दिनांक

(देखें नियम 2.18)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

| | |
|-----------------------------|--|
| परीक्षा का नाम | |
| अभ्यर्थी का अनुक्रमांक | |
| अभ्यर्थी का नाम | |
| अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र | |
| अभ्यर्थी का सेट क्रमांक | |

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

| स.क्र. | उत्तर क्रमांक | आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर | अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर | उत्तर के समर्थन में प्रस्तावेज का विवरण | संलग्नक क्रमांक |
|--------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

अध्याय – 4

पाठ्यक्रम (SYLLABUS)

1. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S.I, Units, Motion in two dimensions cases of uniform velocity and uniform acceleration, general relation among position and velocity, uniform circular motion, force and inertia. Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy.

Static and kinetic friction, work energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservations to its kinetic energy, Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats and constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes. Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling.

Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. Wave motion, principle of superposition, progressive and stationary waves, beats and Doppler effect.

Wave nature of light, interference, young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra. The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for and electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, mass energy relation, fissions, X- ray, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction as a rectifier. Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in a simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacities in series and parallel, energy of a capacitor. Electric current, Ohm's law, Kirchhoffs laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheat stone bridge, potentiometer. Measurement of voltage as currents. Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity Blot Savart law, magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field(Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faradays law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

2. CHEMISTRY :

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

Structure of atom: constitutions of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitals.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation(sp): hydrogen bond: shapes of molecules(VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT a MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non- ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radii, imperfections(point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nucleus reaction, disintegration series artificial transmutation: isotopes and their uses: radiocarbon dating.

Chemical equilibrium: chemical equilibrium, law of mass action: K_p and K_c : Le Chatelier principle and its applications. Ionic equilibrium in solutions, solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: PH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of thermodynamics: energy free energy: spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of a reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion- electron methods. Electrolytic conduction, Faraday's law: voltaic cell, electrochemical theory of corrosion. Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, catalysis types and characteristics.

INOGRANIC CHEMISTRY:

Principle and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties. Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electro negativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements 1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases. Transition metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

Co-ordination compounds: simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics. Chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY:

Calculations of empirical and molecular formula of organic compounds, nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene. Preparation properties and uses of alkynes, alkenes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, haloalkenes, alcohols and phenols: general ideas of some polyhalogen compounds viz dichloroethanes dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of ethers aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

3. BOTANY :

Structure organisation of cell, cell theory . Light and electron microscopic view of cells. structure and functions of cell organelles : nucleus mitochondria , Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome, micro bodies, microfilaments ribosomes. Centrioles and plasmids, Eukaryotic chromosome (morphology) cell and plasma membrane. Difference between cell and animal division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's law of inheritance, monohybrid and dihybrid cross; linkage and crossing over of genetic material DNA replication, genetic code transcription, translation and gene regulation.

Difference between prokaryote and eukaryotes: structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, cyanobacteria (Nostoc) and bacteria.

Five kingdom classification binomial nomenclature: external morphology and life cycle of Spirogyra, Mucor, Funaria, Selaginella and Pinus .

Elementary knowledge of microsporogenesis, megasporogenesis. Fertilization endosperm and embryo development in angiosperms. Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, mineral nutrition essential elements and their functions: uptake of minerals transport of water and solutes.

Transpiration photosynthesis and respiration: importance, mechanism and factors affecting these processes: photorespiration. Enzymes and growth hormones with reference to their classification, chemical nature, mode of action importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - structure and function, major ecosystems i.e lake and forest; food chain., food web and energy flow, ecological crises role of man in polluting environment - air water and soil.

Role of plants in human welfare: a general knowledge of plant products of economic value drugs, fibers, cereals.

Wheat and rice, pulses(gram), oil seeds(ground nut), sugarcane, coal and petroleum, Food preservation methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops, biotechnology, scope and importance in agriculture and industries manufacture of cheese. Yoghurt alcohol antibiotics.

ZOOLOGY :

MULTICELLULARITY- STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:

- Structure and function of animal tissues epithelial, connective muscular, skeletal and nerve.
- Histology of mammalian organs - stomach, intestine, liver, kidney, lung, testes and ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of human body. Skin, digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system, nervous system, reproductive system.
- Skeleton, joints, muscles on the basis of movement receptors.
- Endocrine system with special reference to various endocrine glands of man and hormonal coordination.
- Vitamins and minerals (source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycle in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, fertilization, types of cleavage and blastula, development of mammals upto three germinal layers. Foetal membrane structure and functions in mammals.
- Growth, repair, ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, types of chromosome, human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, hormonal, chromosomal and genic balance theory of sex determination, sex linkage and sex linked inheritance in man, blood group and their significance, blood bank.
- Tissue culture, genetic engineering(brief idea), mutation gene mutation.
- Human population natality mortality, sex ratio population, explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification- binomial and trinomial nomenclature, basic features of classification, classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.
- Origin of life, theories of organic evolution- Darwin, Lamarck, synthetic evidence of organic evolution, human evolution.
- Economic zoology/sericulture, apiculture, lac culture, poultry, fishery and pearl industry.
- Protozoan disease in relation to man, insect carrying diseases in relation to man.
- Cancer types of cancer and cancer cell communicable diseases (Hepatitis, AIDS) . STD, immune response, vaccines and antisera allergies.
- Smoking, alcoholism and drug addition, symptoms and control.
- Wild conservation.
- Pesticides - users, advantages and hazards.

4. GENERAL ENGLISH

1. Reading Comprehension
2. Vocabulary items including synonyms and antonyms, word formation,

Prefixes, Suffixes.

3. Grammar and usage :

(a) Articles and determiners.

(b) Agreement between the subject and the verb.

(c) Time and tenses.

(d) Prepositions and phrasal verbs.

(e) Auxiliaries including modals.

4. Transformation of sentences.

(a) Voices : active and passive.

(b) Narration : direct and indirect.

(c) Degrees of comparison

(d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative.

5. Common errors.

6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

अध्याय-5

परीक्षार्थियों के लिए उत्तरशीट भरने हेतु निर्देश

परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.एम.आर. में उत्तर अंकित करने की विधि :-

- (क) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. उत्तरशीट में प्रविष्टियाँ जैसे नाम, रोल नंबर आदि भरने के लिए परीक्षा आरंभ में मात्र 10 मिनट का समय दिया जाएगा।
(ख) निर्धारित 10 मिनट के पश्चात् अभ्यर्थियों को प्रश्नपुस्तिका दी जावेगी, जिसमें अभ्यर्थी को निम्नानुसार कार्यवाही करना होगी :-
 - (1) प्रश्नपुस्तिका में चारों तरफ से लगी हुई कागज की सील देख लें। बिना कागज की सील लगी अथवा खुली हुई प्रश्नपुस्तिका स्वीकार न करें।
 - (2) प्रश्नपुस्तिका के पृष्ठों तथा प्रश्नों की संख्या का मिलान इसके मुख पृष्ठ पर दी गई संख्याओं से कर लें। यदि इसमें कोई भिन्नता हो तो कृपया प्रश्नपुस्तिका बदल लें। यह कार्यवाही आपको प्रश्नपुस्तिका मिलने के एक मिनट के अंदर करनी है। इसके पश्चात् न तो प्रश्नपुस्तिका बदली जायेगी और न ही अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
 - (3) प्रश्नपुस्तिका की जाँच के उपरांत प्रश्नपुस्तिका का क्रमांक अपनी उत्तरशीट में अंकित करें एवं काले बाल प्वाइंट पेन से संबंधित गोलों को भरें।
- (क) दी गई ओ.एम.आर. उत्तरशीट के पृष्ठ 1 के ऊपरी आधे हिस्से में अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा तिथि एवं प्रश्नपुस्तिका की क्रम संख्या अंकित करें तथा अपने हस्ताक्षर भी करें। इसी पृष्ठ के निचले आधे हिस्से में सबसे ऊपर की लाई में बने चौखाने में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में प्रथमतः अपना सरनेम एवं इसके पश्चात् नाम लिखें। एक चौखाने में एक ही अक्षर लिखें, फिर प्रत्येक अक्षर के नीचे उसी अक्षर वाले गोले को काले बाल प्वाइंट पेन से गहरा काला करें।
(ख) ओ.एम.आर. उत्तरशीट के पृष्ठ क्रं. 2 पर रोल नंबर आदि चौखाने में लिखें एवं संबंधित गोले को काले बाल प्वाइंट पेन से गहरा काला करें।
(ग) ओ.एम.आर. उत्तरशीट के पृष्ठ क्रं. 2 पर प्रश्नों के ऊपर अंकित किया जाना है।
- ओ.एम.आर. उत्तरशीट में काले बाल प्वाइंट पेन से भरे गोलों की प्रविष्टियों को ही पढ़ा जाता है। अतः परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वे ओ.एम.आर. उत्तरशीट के पृष्ठ 1 व 2 पर प्रविष्टियों को भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें एवं कोई त्रुटि न करें।
- ओ.एम.आर. उत्तरशीट में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपने अंगूठे का निशान लगाएँ व हस्ताक्षर करें तथा चाही गई जानकारी को 20-25 शब्दों में अपनी स्वयं की हस्तलिपि में लिखें।
- ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण करने के अतिरिक्त अन्य कुछ न लिखें।
- ओ.एम.आर. उत्तरशीटों में उत्तर अंकित करने की विधि :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थी को चार संभावित उत्तरों में से केवल एक उत्तर चुनना है। इस चुने हुए उत्तर के गोले को बाल प्वाइंट पेन से काला करें। यदि असावधानीवश किसी अन्य गोले में अभ्यर्थी द्वारा कोई चिन्ह लग जाता है, या रेखा खिंच जाती है, तो पूरी संभावना है कि ओ.एम.आर. स्कैनर द्वारा इसे पढ़ लिया जावेगा, जिसका प्रभाव उत्तरशीट के मूल्यांकन पर होगा। अतः अभ्यर्थी को उत्तरपुस्तिका के रखरखाव में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

उदाहरण :-



6. मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple Marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदान दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

7. उत्तरशीट वीक्षक को सौंपना :-

वीक्षक को ओ.एम.आर. उत्तरशीट सौंपने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. उत्तरशीट के दोनों पृष्ठों पर सभी प्रविष्टियाँ जैसे नाम, रोल नंबर, हस्ताक्षर, प्रश्नपुस्तिका का नंबर, सेट कोड आदि निर्धारित स्थान पर अंकित कर संबंधित गोलों को काला किया हैं। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी को प्रश्नपुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

8. ओ.एम.आर. उत्तरशीट के उपयोग में सावधानी :-

ओ.एम.आर. उत्तरशीट का उपयोग करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। इसे फटने, मोड़ने या सलवट पड़ने से खराब न होने दें।

-----0-----

SPECIMEN COPY

पृष्ठ 2

गोले को काला करने का सही तरीका (●)

| | | | | | | | |
|----|---------|----|---------|----|---------|-----|---------|
| 1 | A B C D | 26 | A B C D | 51 | A B C D | 76 | A B C D |
| 2 | A B C D | 27 | A B C D | 52 | A B C D | 77 | A B C D |
| 3 | A B C D | 28 | A B C D | 53 | A B C D | 78 | A B C D |
| 4 | A B C D | 29 | A B C D | 54 | A B C D | 79 | A B C D |
| 5 | A B C D | 30 | A B C D | 55 | A B C D | 80 | A B C D |
| 6 | A B C D | 31 | A B C D | 56 | A B C D | 81 | A B C D |
| 7 | A B C D | 32 | A B C D | 57 | A B C D | 82 | A B C D |
| 8 | A B C D | 33 | A B C D | 58 | A B C D | 83 | A B C D |
| 9 | A B C D | 34 | A B C D | 59 | A B C D | 84 | A B C D |
| 10 | A B C D | 35 | A B C D | 60 | A B C D | 85 | A B C D |
| 11 | A B C D | 36 | A B C D | 61 | A B C D | 86 | A B C D |
| 12 | A B C D | 37 | A B C D | 62 | A B C D | 87 | A B C D |
| 13 | A B C D | 38 | A B C D | 63 | A B C D | 88 | A B C D |
| 14 | A B C D | 39 | A B C D | 64 | A B C D | 89 | A B C D |
| 15 | A B C D | 40 | A B C D | 65 | A B C D | 90 | A B C D |
| 16 | A B C D | 41 | A B C D | 66 | A B C D | 91 | A B C D |
| 17 | A B C D | 42 | A B C D | 67 | A B C D | 92 | A B C D |
| 18 | A B C D | 43 | A B C D | 68 | A B C D | 93 | A B C D |
| 19 | A B C D | 44 | A B C D | 69 | A B C D | 94 | A B C D |
| 20 | A B C D | 45 | A B C D | 70 | A B C D | 95 | A B C D |
| 21 | A B C D | 46 | A B C D | 71 | A B C D | 96 | A B C D |
| 22 | A B C D | 47 | A B C D | 72 | A B C D | 97 | A B C D |
| 23 | A B C D | 48 | A B C D | 73 | A B C D | 98 | A B C D |
| 24 | A B C D | 49 | A B C D | 74 | A B C D | 99 | A B C D |
| 25 | A B C D | 50 | A B C D | 75 | A B C D | 100 | A B C D |

प्रश्न पुस्तिका क्रमांक

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

अभ्यर्थी की जन्म तिथि

दिन माह वर्ष

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

अभ्यर्थी का रोल नम्बर

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

सेट क्रमांक

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
| A |
| B |
| C |
| D |

कृपया इस क्षेत्र में कुछ न लिखें



उत्तरशीट क्रमांक 100001